न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा। उपस्थित–रवीन्द्र देव मिश्र, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा। निर्णय की तिथि– 03.12.2025 फौजदारी वाद संख्या–465 वर्ष 2019 CNR. No.UKAL020004772019 चालानी थाना–अल्मोडा।	
वादी	उत्तराखण्ड राज्य
उपस्थित विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी	सुश्री सोनम सनवाल
अभियुक्तगण	1. किशन सिंह जलाल पुत्र देव सिंह जलाल निवासी ग्राम बाबरी पो0 रनमन तहसील व थाना सोमेश्वर हाल– स्टोर कीपर इण्डेन गैस सर्विस लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा। 2. राजीव कुमार पुत्र श्री चनी राम निवासी ग्राम पन्याली पो0कटघरिया थाना हल्द्वानी जिला नैनीताल हाल–द्वारा प्रबन्धक इण्डेन गैस सर्विस अल्मोड़ा।
उपस्थित विद्वान अधिवक्ता	श्री भगवती प्रसाद पाण्डे, श्री दीप चन्द्र जोशी एवं श्री रोहित कार्की

अपराध की तिथि	16.09.2016 से 05.05. 2017 के बीच
एफ0आई0आर0 की तिथि	23.06.2017
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	24.04.2019
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	10.01.2024 एवं 31.01. 2024
साक्ष्य शुरू होने की तिथि	16.05.2024
तिथि जब निर्णय सुरक्षित रखा गया	24.11.2025
निर्णय की तिथि	03.12.2025
दण्डादेश की तिथि, यदि कोई हो	–

अभियुक्त का विवरण	
अभियुक्त की रैंक	01
अभियुक्त का नाम	किशन सिंह जलाल
गिरफ्तारी की तिथि	आत्मसमर्पण पर दि0 15.02.2023 को न्यायालय में उपस्थित।
जमानत में छोड़े जाने की तिथि	15.02.2023
अपराध का आरोप जो लगाया गया	धारा 406, 409 भारतीय दण्ड संहिता, 1860
दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दोषमुक्त
सजा जो सुनाई गई	—
धारा 428 द0प्र0सं0 के उद्देश्य के लिये अभियुक्त के परीक्षण के दौरान हिरासत की अवधि	—

अभियुक्त का विवरण	
अभियुक्त की रैंक	02
अभियुक्त का नाम	राजीव कुमार
गिरफ्तारी की तिथि	आत्मसमर्पण पर दि0 31.07.2023 को न्यायालय में उपस्थित।
जमानत में छोड़े जाने की तिथि	31.07.2023
अपराध का आरोप जो लगाया गया	धारा 406, 409 भारतीय दण्ड संहिता, 1860
दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दोषमुक्त
सजा जो सुनाई गई	—
धारा 428 द0प्र0सं0 के उद्देश्य के लिये अभियुक्त के परीक्षण के दौरान हिरासत की अवधि	—

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

क–अभियोजन

रैंक	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी/पुलिस/एक्सपर्ट/चिकित्सक/पंच/अन्य साक्षीगण
पी0डब्ल्यू0–1	श्री टी0एन0उपाध्याय	वादी मुकदमा

पी0डब्ल्यू0–2	श्री नन्दन सिंह बोरा	तथ्य का साक्षी/फर्द का साक्षी
पी0डब्ल्यू–3	कानि0 संदीप सिंह	तथ्य का साक्षी/फर्द का साक्षी
पी0डब्ल्यू0–4	हेड कानि0 दीपक सिंह खनका	तथ्य का साक्षी/फर्द का साक्षी
पी0डब्ल्यू0–5	श्री अम्बी राम	पूर्व विवेचक
पी0डब्ल्यू–6	उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह	विवेचक
पी0डब्ल्यू0–7	श्री पान सिंह मेर	तथ्य का साक्षी

ब–बचाव पक्ष के साक्षीगण, यदि कोई हो

रैंक	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी/पुलिस/ एक्सपर्ट/चिकित्सक/पंच/अन्य साक्षीगण
–	–	–

स–न्यायालय साक्षीगण, यदि कोई हो

रैंक	साक्षियों के नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी/पुलिस/ एक्सपर्ट/चिकित्सक/पंच/अन्य साक्षीगण
	....शून्य...	

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के दस्तावेजों की सूची

क–अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	तहरीर
2.	प्रदर्श पी–2	घटनास्थल नक्शा नजरी
3.	प्रदर्श पी–3	फर्द बावत तौल व मिलान गैस सिलेण्डर
4.	प्रदर्श पी–4	आरोप पत्र
5.	प्रदर्श पी–5	प्रथम सूचना रिपोर्ट
6.	प्रदर्श पी–6	अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु महा प्रबन्धक कुमायूं मण्डल

		विकास निगम लि0 ओक पार्क हाउस नैनीताल को अनुस्मारक पत्र की कार्बन प्रति
7.	प्रदर्श पी–7	अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु मय आवश्यक अभिलेखों की प्रतियॉ महा प्रबन्धक कुमायूं मण्डल विकास निगम लि0 ओक पार्क हाउस नैनीताल को प्रेषित पत्र की कार्बन प्रति
8.	प्रदर्श पी–8	प्रबन्धक निदेशक, कुमाउॅ मण्डल विकास निगम लिमि0 ओक पार्क हाउस नैनीताल द्वारा अभियोजन चलाने सम्बन्धी स्वीकृति पत्र

ब–बचाव पक्ष

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या / कागज संख्या	विवरण
1	कागज सं0 148क / 1	सूची
2.	148क / 2 लगायत 148क / 3	गैस प्रबन्धक, सोमेश्वर गैस सर्विस जिला अल्मोड़ा को प्रेषित पत्र की सत्यापित प्रति एवं कुमाउॅ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल के पत्र संख्या 3213 / 2–दिनांक 24.09.2019 की सत्यापित प्रति
3.	148क / 4 लगायत 148क / 7	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मॉगी गयी सूचना की प्रति
4.	148क / 9 लगायत 148क / 10	न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर वाद संख्या 25 / 2016–17 राज्य बनाम गोविन्द सिंह आदि में गवाह नन्दन सिंह बोरा के जिरह की सत्यापित प्रति
5.	148क / 11 लगायत 148क / 16	न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर वाद संख्या 25 / 2016–17 राज्य बनाम गोविन्द सिंह आदि में गवाह दीपक खनका के बयान की सत्यापित प्रति

स–न्यायालय प्रपत्र

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
..........शून्य...........		

द–वस्तु प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
	.....शून्य.......	

निर्णय

03.12.2025

पुलिस थाना कोतवाली अल्मोड़ा द्वारा अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल पुत्र देव सिंह जलाल एवं राजीव कुमार पुत्र श्री चनी राम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 38/2017 अन्तर्गत धारा 406, 409 भारतीय दण्ड संहिता, 1860, (जिसे एतस्मिनपश्चात भा0द0सं0 कहा जायेगा) के अन्तर्गत इस न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत करने पर इस वाद की कार्यवाही संस्थित हुई।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि "दिनांक 16.09.2016 को श्री नन्दन सिंह बोरा, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा ट्रक संख्या यू0के0 04–सीए–9789 में घरेलू रसोई गैस के 234 सिलेण्डरों में से 30 सिलेण्डरों में गैस की चोरी करने के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 तथा आई0पी0सी0 की धारा 420 के उल्लंघन में ट्रक चालक श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी के0एम0डी0टी0एस0 गैरापड़ाव हल्द्वानी नैनीताल तथा भारद्वाज ट्रांसपोर्ट के मालिक के विरूद्ध थाना कोतवाली अल्मोड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। मौके पर तैयार की गई फर्द बरामदगी एवं सुपुर्दगीनामा तथा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है। वारदात के दिन हल्दूचौड़ बीटलिंग प्लांट से चालान संख्या 690385802 द्वारा धारचूला गैस सर्विस हेतु 134 सब्सिडाईजड सिलेण्डर व 100 नॉन सब्सिडाईजड सिलेण्डर कुल 234 घरेलू सिलेण्डर भेजे गये, परन्तु मौके पर 30 सिलेण्डर तौल करने पर पूर्ण रूप से खाली पाये गये तथा 203 घरेलू सिलेण्डर भरे हुए पाये। चालान के अनुसार 01 सिलेण्डर कम पाया गया। उक्त बरामद सिलेण्डरों को मय ट्रक 203 भरे हुए एवं 30 खाली सिलेण्डरों तथा 02 बांसुरी को श्री किशन सिंह जलाल, स्टोर कीपर अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा को इस आशय के साथ सुपुर्दगी में दिये गये कि वे अग्रिम आदेशों तक उक्त सिलेण्डरों एवं बांसुरी को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे। परन्तु दिनांक 05.05.2017 को

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के आदेश दिनांक 10.04.2017 के अनुपालन में श्री नन्दन सिंह बोरा , क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा ट्रक को अवमुक्त करने हेतु पुनः ट्रक में रखे हुए सिलेण्डारों की जॉच करने पर 222 सिलेण्डर भरे हुए तथा 01 खाली सिलेण्डर, जिस पर 541399 नं0 अंकित है, कुल 223 सिलेण्डर पाये गये। जिनकी तौल कराकर श्री किशन सिंह जलाल, स्टोर कीपर की सुपुर्दगी में दिये, जिन्हें उनके द्वारा गैस गोदाम में रखा गया, जबकि पूर्व में दिनांक 16.09.2016 को प्रबन्धक अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा तथा स्टोर कीपर श्री किशन सिंह जलाल अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा द्वारा उक्त सुपुर्दगी में दिये गये सिलेण्डरों को गैस गोदाम में न रखकर उन्हें ट्रक में ही छोड़ दिया गया। इस प्रकार 10 सिलेण्डर ट्रक से कम पाये गये। श्री नन्दन सिंह बोरा द्वारा अवगत कराया गया कि जो खाली सिलेण्डर इस समय पाया गया, उसका नम्बर माल मुकदमाती के सुपुर्दगी के समय खाली सिलेण्डरों से भिन्न पाया गया। मौके पर तौल कराये गये 223 सिलेण्डरों की फर्द संलग्न है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर अल्मोड़ा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/6 क के अर्न्तगत अपने आदेश दिनांक 20.06.2017 के द्वारा माल मुकदमाती को खुर्द–बुर्द करने का साक्ष्य मिटाने एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत श्री राजीव कुमार, प्रबन्धक अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा, श्री किशन सिंह जलाल, स्टोर कीपर अल्मोड़ा गैस सर्विस लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा एवं श्री दिनेश कुमार भरद्वाज पुत्र श्री भल्ला राम निवासी गौजाजाली पुरानी आई0टी0आई0 बरेली रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल को दोषी पाते हुए इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अतः जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के आदेशानुसार उक्त तीनों दोषियों के विरूद्ध खुर्द बुर्द करने, साक्ष्य मिटाने एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

03. अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 38/2017 के मामले में विवेचक द्वारा दौराने विवेचना दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य संकलित किये गये तथा समस्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार के विरुद्ध धारा धारा 406, 409

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

04. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार के विरुद्ध धारा 406, 409 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आए। अभियुक्तगण को धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गई।

05. अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार के विरुद्ध धारा 406, 409 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप सुनकर व समझकर आरोपों से इन्कार किया व विचारण की मांग की।

06. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0–1 टी0एन0उपाध्याय, पी0डब्ल्यू0–2 नन्दन सिंह बोरा, पी0डब्ल्यू0–3 कानि0 संदीप सिंह, पी0डब्ल्यू0–4 हेड कानि0 दीपक सिंह खनका, पी0डब्ल्यू0–5 एस0आई0 अम्बी राम, पी0डबल्यू0–6 एस0आई0 देवेन्द्र सिंह मीना एवं पी0डब्ल्यू0–7 पान सिंह मेर को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी0–01 ता प्रदर्श पी0–08 साबित किये गये, जिनका विस्तृत विवरण ऊपर सारणी में दिया गया है और तथ्यों की संक्षिप्तता के लिए उनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है।

07. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त हो जाने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त किशन सिंह जलाल द्वारा कहा गया कि झूठा मुकदमा बनाया गया है। मेरा पद मैकेनिक का था। टी0एन0उपाध्याय व नन्दन सिंह बोरा के द्वारा झूठी कार्यवाही की गयी। अभियुक्त राजीव कुमार द्वारा झूठा मुकदमा चलने का कथन किया गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि मैं प्रबन्धक के पद पर नहीं था। रंजिशन तहरीर दी गयी है, मैं पूर्व में

उपरोक्त मामले में गवाह के रूप में था, जिसमें मेरे बयान अंकित हुए हैं। पूर्व में जो अभियुक्तगण ट्रक ड्राईवर भारद्वाज जी थे, उक्त मामले में अभियुक्त थे, उनका नाम हटाकर मुझे फॅसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा बचाव साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची कागज संख्या 148क/1 से दस्तावेज 148क/2 लगायत 148क/16 प्रस्तुत किये गये हैं।

08. बहस के दौरान अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त किशन सिंह जलाल स्टोरकीपर के पद पर नहीं था। वह मैकेनिक के पद पर था। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दर्शित होता हो कि दिनांक 16.09.2016 से दिनांक 05.05.2017 तक किशन सिंह जलाल स्टोरकीपर के पद पर था। अभियोजन की ओर से कथित फर्द व सुपुर्दगीनामा कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/22 प्रस्तुत किया गया है, वह छाया प्रतियां हैं। छायाप्रति होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अभियुक्त राजीव कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित फर्द दिनांक 16.09. 2016 में केवल यह अंकित है कि उक्त बरामद ट्रक एवं 30 खाली सिलेण्डर एवं 203 भरे हुए सिलेण्डर अल्मोड़ा गैस सर्विस के गोदामकीपर को इस आशय के साथ सुपुर्दगी में दिये गये कि वे अग्रिम आदेशों तक उक्त सिलेण्डर एवं बांसुरी को सुरक्षित रखेंगे। जबकि अभियुक्त राजीव कुमार स्टोरकीपर के पद पर नहीं था और न ही अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिससे दर्शित होता हो कि अभियुक्त राजीव कुमार को उक्त सिलेण्डर व ट्रक सुपुर्दगी में दिया गया हो। इसके अतिरिक्त अभियुक्त राजीव कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस कागज संख्या 157क/1 लगायत 157क/5 प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया कि एफ0आई0आर0 में अंकित है कि जिन्हें उनके द्वारा गैस गोदाम में रखा गया, जबकि स्वयं रिपोर्टर विवेचक व अन्य सभी साक्षियों के बयानों में स्पष्ट कहा गया है कि सिलेण्डरों से भरा ट्रक गैस गोदाम के उपर अल्मोड़ा रानीखेत मोटर मार्ग पर खड़ा किया गया था, जिस कारण सुपुर्दगी संदिग्ध प्रतीत होती है।

09. रिपोर्टर द्वारा एफ0आई0आर0 में व मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या 4 में कथन किया गया है कि उक्त बरामद सिलेण्डरों को मय ट्रक 203 भरे व 30 खाली सिलेण्डर तथा दो बांसुरी को श्री किशन सिंह जलाल स्टोरकीपर अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा को इस आशय के साथ सुपुर्दगी में दिये गये कि वे अग्रिम आदेशों तक उक्त सिलेण्डरों व बांसुरी को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे, जिन्हें उनके द्वारा गैस गोदाम में रखा गया। जबकि पैरा संख्या 33 में यह स्वीकार किया गया है कि गैस सिलेण्डर से भरा ट्रक गैस गोदाम में न रखकर गैस गोदाम से उपर वाली सड़क पर रखा था। ट्रक में डाला लगता था, डाले में ताला लगा था और ताले की चाबी ड्राईवर के पास थी और सिलेण्डर खुर्द–बुर्द हो गये। टी0एन0उपाध्याय रिपोर्टर द्वारा जिरह के पैरा संख्या 34 में कहा गया है कि ट्रक की चाबी ड्राईवर के पास थी और सिलेण्डर खुर्द बुर्द हो गये जबकि गवाह संदीप सिंह द्वारा जिरह के पैरा संख्या 18 में कहा गया कि लक्ष्मेश्वर के पास नन्दन सिंह द्वारा ताला लगवाया गया और चाबी उन्हीं के पास थी, जो मामले को संदिग्ध बनाता है। अतः अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल व राजीव कुमार दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

10. अभियोजन की ओर से बहस के दौरान कथन किया गया कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाए गए अभियोग को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अतः अतः अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल व राजीव कुमार दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

11. न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री सोनम सनवाल तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद पाण्डे, श्री दीप चन्द्र जोशी एवं श्री रोहित कार्की को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

निष्कर्ष

12. अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल पर **प्रथम आरोप** यह है कि

यह कि दिनांक 16.09.2016 से 05.05.2017 के बीच दिनांक 16.09.2016 को तत्कालीन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, अल्मोडा द्वारा ट्रक सं0 यू0के0 04 सी0ए0 9789 में घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों में 30 खाली गैस सिलेण्डर तथा 1 सिलेण्डर कम होने के संबंध में कोतवाली अल्मोडा में मुकदमा अपराध सं0 53/2016 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग से संबंधित ट्रक व 203 भरे सिलेण्डरों, 30 खाली सिलेण्डरों व 2 बांसुरी (गैस रिफिलिंग यंत्र) माल मुकदमाती को किशन सिंह जलाल स्टोरकीपर इण्डेन गैस सर्विस, लक्ष्मेश्वर, अल्मोडा को इस आशय के साथ सुपुर्दगी में दिए गए थे कि वे अग्रिम आदेश तक उक्त सिलेण्डरों एवं बासुरी को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे। परन्तु दिनांक 05.05.2017 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा के आदेश दिनांक 10.04.2017 के अनुपालन में ट्रक को अवमुक्त करने हेतु पुनः ट्रक में रखे हुए सिलेण्डरों की जांच करने पर 222 सिलेण्डर भरे हुए तथा 1 खाली सिलेण्डर, कुल 223 सिलेण्डर पाए गए, जिनको तोलकर किशन सिंह जलाल स्टोरकीपर की सुपुर्दगी में दिया गया, जिन्हें उनके द्वारा गैस गोदाम में रखा गया, जबकि पूर्व में दिनांक 16.09.2016 को प्रबंधक अल्मोडा गैस सर्विस, अल्मोडा तथा किशन सिंह जलाल स्टोरकीपर अल्मोडा गैस सर्विस अल्मोडा द्वारा उक्त सुपुर्दगी में दिए गए सिलेण्डरों को गैस गोदाम में न रखकर उन्हें ट्रक में ही छोड दिया गया। इस प्रकार 10 सिलेण्डर ट्रक में कम पाए गए। आप अभियुक्त तत्कालीन स्टोरकीपर अल्मोडा गैस सर्विस के पद पर तैनात थे। आप अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त राजीव कुमार के साथ मिलकर माल मुकदमाती, जो आपकी अभिरक्षा में न्यस्त (entrusted) किया गया था, का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया गया तथा अभियुक्त **राजीव कुमार** पर प्रथम आरोप यह है कि दिनांक 16.09.2016 से 05.05.2017 के बीच दिनांक 16.09.2016 को तत्कालीन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, अल्मोडा द्वारा ट्रक सं0 यू0के0 04 सी0ए0 9789 में घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों में 30 खाली गैस सिलेण्डर तथा 1 सिलेण्डर कम होने के संबंध में कोतवाली अल्मोडा में मुकदमा अपराध सं0 53/2016 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग से संबंधित ट्रक व 203 भरे सिलेण्डरों, 30 खाली सिलेण्डरों व 2 बासुरी (गैस

रिफिलिंग यंत्र) माल मुकदमाती को किशन सिंह जलाल स्टोरकीपर इण्डेन गैस सर्विस, लक्ष्मेश्वर, अल्मोडा को इस आशय के साथ सुपुर्दगी में दिए गए थे कि वे अग्रिम आदेश तक उक्त सिलेण्डरों एवं बासुरी को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे। परन्तु दिनांक 05.05.2017 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा के आदेश दिनांक 10.04.2017 के अनुपालन में ट्रक को अवमुक्त करने हेतु पुनः ट्रक में रखे हुए सिलेण्डरों की जांच करने पर 222 सिलेण्डर भरे हुए तथा 1 खाली सिलेण्डर, कुल 223 सिलेण्डर पाए गए, जिनको तोलकर किशन सिंह जलाल स्टोरकीपर की सुपुर्दगी में दिया गया, जिन्हें उनके द्वारा गैस गोदाम में रखा गया, जबकि पूर्व में दिनांक 16.09.2016 को प्रबंधक अल्मोडा गैस सर्विस, अल्मोडा तथा किशन सिंह जलाल स्टोरकीपर अल्मोडा गैस सर्विस अल्मोडा द्वारा उक्त सुपुर्दगी में दिए गए सिलेण्डरों को गैस गोदाम में न रखकर उन्हें ट्रक में ही छोड दिया गया। इस प्रकार 10 सिलेण्डर ट्रक में कम पाए गए। आप अभियुक्त तत्कालीन प्रबंधक अल्मोडा गैस सर्विस अल्मोडा के पद पर तैनात थे। आप अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त किशन सिंह जलाल के साथ मिलकर माल मुकदमाती, जो आपकी अभिरक्षा में न्यस्त (entrusted) किया गया था, का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया गया।

13. अब न्यायालय को देखना है कि क्या अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार पर अभियोजन द्वारा लगाया गया अभियोग अंतर्गत धारा 406 भा0द0सं0 को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

14. उपरोक्त मामले को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाहों को परीक्षित कराया गया है, जिनमें साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–1 टी0एन0उपाध्याय वादी मुकदमा, साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–2 नन्दन सिंह बोरा, पी0डब्ल्यू0–3 कानि0 संदीप सिंह, पी0डब्ल्यू0–4 हेड कानि0 दीपक सिंह खनका तथ्य के साक्षी हैं। पी0डब्ल्यू0–5 अम्बी राम इस मामले में पूर्व विवेचक है तथा पी0डब्ल्यू0–6 एस0आई0 देवेन्द्र सिंह इस मामले में विवेचक हैं एवं पी0डब्ल्यू0–7 तथ्य का साक्षी है।

15. प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा पी0डब्ल्यू0—1 श्री टी0एन0उपाध्याय ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 4 में कथन किया है कि ट्रक को चालक सहित अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा के गोदाम पर ले जाकर मौके पर फर्द बरामदगी एवं सुपुर्दगीनामा तैयार करवाकर सिलेण्डरों एवं ट्रक को किशन सिंह जलाल की सुपुर्दगी में इस आशय के साथ दिये गये कि वे उन्हें अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखें। जबकि जिरह के पैरा संख्या 14 में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 16.09.2016 को एन0टी0डी0 चौराहे से ट्रक को लाकर अल्मोड़ा गैस गोदाम के उपर अल्मोड़ा रानीखेत मोटर मार्ग पर खड़ा किया गया तथा जिरह के पैरा संख्या 15 में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि मोटर मार्ग पर ही हमारे द्वारा सभी सिलण्डरों की नाप तोल की गयी और नापतोल करने के उपरान्त मौके पर फर्द बरामदगी बनाकर सारे सिलेण्डरों को गोदाम कीपर की सुपुर्दगी में दिये गये तथा जिरह के पैरा संख्या 33 में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि गैस सिलेण्डर से भरा ट्रक गैस गोदाम में न रखकर गैस गोदाम के उपर वाली सड़क पर रखा था। जिरह के पैरा संख्या 34 में बयान दिया है कि ट्रक में डाला लगता था, डाले में ताला लगा था, उसकी चाबी ड्राईवर के पास थी। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा गैस सिलण्डरों व ट्रक की सुपुर्दगी विधिवत न की गयी हो।

16. साक्षी पी0डब्ल्यू0—2 नन्दन सिंह बोरा अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या 4 में बयान दिया है कि हमारे द्वारा 5 सिलेण्डरों की रैनडमली तौल की गयी, जिसके प्रमाणिक कागज पत्रावली में कागज संख्या 9क/11 लगायत 9क/22 है। इसके पश्चात **गैस प्रबन्धक श्री राजीव कुमार के समक्ष श्री किशन सिंह जलाल को 203 भरे हुए सिलेण्डर तथा 30 खाली सिलेण्डर व दो बांसुरी सुपुर्द की गयी**। तथा मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या 7 में कथन किया गया है कि इस प्रकार स्टोरकीपर द्वारा 10 सिलेण्डर खुर्द बुर्द किये गये। जबकि जिरह के पैरा संख्या 9 में कथन किया गया है कि आई0टी0आई0 से ट्रक ड्राईवर एस0ओ0जी0 की निगरानी में ट्रक को चलाकर गैस गोदाम के उपर अल्मोड़ा रानीखेत रोड में लाया गया तथा जिरह के पैरा संख्या 17 में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि

दिनांक 5.5.2017 को ही पहली बार पता चला कि सिलेण्डरों में खुर्द बुर्द की गयी है, मेरे द्वारा सिलेण्डरों में हुई खुर्द बुर्द की सूचना जिलाधिकारी अल्मोड़ा को लिखित रूप में दिनांक 6.5.2017 को दी गयी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी खुर्द बुर्द के सम्बन्ध में सूचना देने के बाद कोई कार्यवाही की गयी या नहीं तथा जिरह के पैरा संख्या 19 में यह कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 6.5.2017 को मेरे द्वारा खुर्द बुर्द होने के सम्बन्ध में जो लिखित सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी गयी थी, वह पत्रावली में मौजूद नहीं है और न ही मैं आज न्यायालय लेकर आया हूं तथा जिरह के पैरा संख्या 32 में कथन कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि ट्रक को गैस गोदाम में न जाकर उसे उपर की रोड में ही खड़ा कर दिया गया था। वहीं उपर रोड पर सिलेण्डरों की नापजोक की गयी। यह पूरी कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी टी0एन0उपाध्याय के निर्देशन पर हो रही थी। नापतोल के बाद सभी सिलेण्डरों को ट्रक में रखकर डाला लगाकर ताला लगाया गया था।

17. साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 कानि0 संदीप सिंह, जो कि मामले के दिनांक 16.09.2016 के फर्द के गवाह हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या 5 में कथन किया गया है कि मौके पर ही सारी कागजी कार्यवाही करने पर सभी सिलेण्डरों को वापस उसी गाड़ी में रखकर ताला लगाकर उसके जिम्मेदारी गोदाम वालों के सुपुर्द करके हम लोग चालक को लेकर कोतवाली अल्मोड़ा ले गये। कागज संख्या 6क/1 दिनांक 16.09.2016 तहरीर की छाया प्रति है, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में कागज संख्या 9क/11 संलग्न है, जिस पर ए स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जबकि जिरह के पैरा संख्या 15 में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि कागज संख्या 9क/11 के मुख्य भाग में शिनाख्त की कोई मुहर नहीं लगी है पृष्ठ भाग पर मुहर व हस्ताक्षर हैं तथा पैरा संख्या 18 में बयान दिया है कि लक्ष्मेश्वर के पास नन्दन सिंह द्वारा ताला लगवाया गया तथा चाबी उन्हीं के पास थी। तथा जिरह के पैरा संख्या 29 में कथन किया गया है कि कागज संख्या 9क/14 में टी0एन0उपाध्याय के हस्ताक्षर हैं या नहीं मैं नहीं बता सकता हूं।

18. साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 दीपक सिंह खनका, जो दिनांक 16.09.2016 के फर्द के गवाह हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या 4 में यह कथन किया गया है कि गैस गोदाम ले जाने के बाद मौके पर ट्रक में से सिलेण्डरों को नीचे उतार कर तोला गया, तोलने पर 30 खाली सिलेण्डर व 203 भरे हुए सिलेण्डर पाये गये। मौके पर क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री नन्दन सिंह बोरा द्वारा फर्द तैयार की गयी। फर्द की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली में कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/14 संलग्न है, जिसमें अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त करता हूं। जबकि जिरह के पैरा संख्या 12 में कथन किया गया है कि उपरोक्त मामले में घटनास्थल एक ही है, मुझे पता नहीं है कि उपरोक्त चाबी किसे दी गयी, परन्तु गैस गोदाम के कर्मचारी को दी गयी।

19. साक्षी पी0डब्ल्यू0–5 एस0आई0 अम्बी राम ने अपनी जिरह के पैरा संख्या 22 में कथन किया गया है कि कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/22 फर्द से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज प्रमाणित छाया प्रतियॉ हैं, इसकी मूल प्रतियॉ पत्रावली पर मौजूद नही है। यह कहना सही है कि **प्रमाणित छाया प्रतियों में प्रदर्श अंकित नहीं है और मेरे द्वारा मूल का अवलोकन नहीं किया गया** तथा जिरह के पैरा संख्या 23 में यह कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि तहरीर लेखक टी0एन0उपाध्याय द्वारा मुझे यह बात नहीं बतायी गयी थी कि फर्द से सम्बन्धित मूल प्रतियों के आधार पर ही उपरोक्त प्रमाणित प्रतियॉ तैयार की गयी। तथा जिरह के पैरा संख्या 28 में यह कथन किया गया है कि तथाकथित घटना में सिलेण्डर का खुर्द बुर्द गैस गोदाम परिसर में हुआ था तथा पैरा संख्या 29 में बयान दिया है कि मेरे द्वारा इस बात की पुष्टि की गयी थी कि किशन सिंह जलाल गैस गोदाम अल्मोड़ा में स्टोरकीपर के पद पर नियुक्त हैं, लेकिन इससे सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज दौराने विवेचना नहीं दिये गये थे और न ही इससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। यह कहना सही है कि कथित घटना का समय दिनांक 16.09.2016 से 5.5.2017 तक सी0डी0 में अंकित किया गया है। **यह कहना सही है कि दिनांक 5.5.2017 से तहरीर दिये जाने तक दिनांक 23.6.2017 में लगभग डेढ माह के अन्तर से विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है।**

जिरह के पैरा संख्या 37 में यह बयान दिया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 नक्शा नजरी जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है उक्त नक्शा नजरी गैस गोदाम से लगभग 200 मीटर नीचे स्थित है। यह कहना सही है कि उपरोक्त नक्शा नजरी में गैस गोदाम परिसर अंकित नहीं किये गये हैं तथा जिरह के पैरा संख्या 42 में बयान दिया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–5 में टी0एन0उपाध्याय व खाद्य पूर्ति अधिकारी की मुहर अंकित नहीं है और न ही स्टोरकीपर की मुहर अंकित है तथा जिरह के पैरा संख्या 57 में यह कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि जब मैं दौराने विवेचना गैस गोदाम अल्मोड़ा पहुॅचा, तो गैस गोदाम की चाबी पान सिंह मेर के पास थी और उनके द्वारा ही ताला खोलकर अन्दर ले जाया गया व टी0एन0उपाध्याय भी हमारे साथ थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 में संलग्न जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर अल्मोड़ा द्वारा पारित आदेश की प्रति तहरीर के साथ संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि कागज संख्या 9क/10 में चार लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें एक स्वयं मेरे, वादी टी0एन0उपाध्याय, नन्दन सिंह बोरा व स्टोर कीपर पान सिंह मेर के हस्ताक्षर हैं तथा जिरह के पैरा संख्या 87 में बयान दिया है कि यह कहना सही है कि जब मेरे द्वारा दिनांक 30.06.2017 को कार्यवाही की गयी थी, उस दौरान मेरे द्वारा अभियुक्तगण राजीव कुमार व किशन सिंह जलाल को कोई सूचना नहीं दी गयी थी। यह कहना सही है कि दिनांक 16.09.2016 से दिनांक 5.5.2017 तक ट्रक 233 सिलेण्डरों के साथ गैस गोदाम के उपर वाली सड़क पर खड़ा था तथा जिरह के पैरा संख्या 95 में बयान दिया है कि यह कहना सही है कि दौराने जॉच मेरे द्वारा यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि गैस गोदाम में लाये गये भरे व खाली सिलेण्डरों के क्रमॉक क्या–क्या रहे हैं।

20. साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 एस0आई0 देवेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.06.2018 को अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पत्र मय आवश्यक अभिलेखों की प्रतियॉ महा प्रबन्धक कुमाउॅ मण्डल विकास निगम कार्यालय नैनीताल को भेजी गयी थी, जिससे सम्बन्धित पत्र कागज संख्या 14क/12, जिस पर कुमाउॅ मण्डल

विकास निगम की रिसीविंग मुहर, जिसे प्रदर्श पी–7 के रूप में साबित किया गया तथा अभियोजन चलाने सम्बन्धित स्वीकृति पत्र कागज संख्या 24क/21 जिसे प्रदर्श पी–8 के रूप में साबित किया गया है।

21. साक्षी पी0डब्ल्यू0–7 पान सिंह मेर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं अल्मोड़ा गैस ऐजेन्सी में वर्ष 2003 से 2020 तक सैल्समैन था। उक्त अवधि में अल्मोड़ा गैस ऐसेजन्सी में स्टोर कीपर श्री किशन सिंह जलाल थे। दिनांक 16.09.2016 से दिनांक 10.04.2017 की अवधि में भी स्टोरकीपर श्री किशन सिंह जलाल ही होंगे। जबकि जिरह के पैरा संख्या–10 में कथन किया है कि अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या–3 में मैंने जो किशन सिंह जलाल के स्टोरकीपर होने की बात कही है, उनका मुख्य पद मैकेनिक का था। किशन सिंह जलाल के स्टोरकीपर के चार्ज में होने का कोई भी आधिकारिक पत्र न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

22. न्यायालय को यह देखना है कि दिनांक 16.09.2016 को जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा वाहन संख्या यू0ए0–04–6963 ट्रक एवं 30 खाली सिलेण्ड एवं 203 भरे हुए सिलेण्डर अभियुक्त किशन सिंह जलाल एवं अभियुक्त राजीव कुमार को सुपुर्द किया गया एवं दिनांक 5.5.2017 को ट्रक अवमुक्त करते समय ट्रक में रखे हुए 10 सिलेण्डर अभियुक्तगण द्वारा खुर्द बुर्द किये गये। इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फर्द बरामदगी कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/14 के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 16.09.2016 की फर्द बरामदगी की छायाप्रति हैं। कागज संख्या 9क/13 व 9क/14 में सी0जे0एम0 अल्मोड़ा के लघु हस्ताक्षर दिनांक 17.09.2016 की छायाप्रतियॉ है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–5 विवेचक अम्बी राम ने अपने जिरह के पैरा संख्या 12 में यह स्वीकार किया है कि कागज संख्या 9क/22 फर्द से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज प्रमाणित छायाप्रतियॉ है, इसकी मूल प्रतियॉ पत्रावली में मौजूद नहीं है। अभियोजन द्वारा जिस फर्द एवं सुपुर्दगीनामा दिनांक 16.09.2016 द्वारा अभियुक्तगण को ट्रक व गैस सिलेण्डर सुपुर्द किया जाना बताया गया है, वह सुपुर्दगीनामा व फर्द की मूल

प्रतियॉ या प्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी है। विवेचक अम्बी राम के जिरह के पैरा संख्या 22 के अनुसार फर्द एवं सुपुर्दगीनामा दिनांक 16.09.2016 की मूल प्रति एफ0आई0आर0संख्या 53/2016 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 में संलग्न कर प्रेषित की गयी थी। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/14 छायाप्रतियॉ होने के कारण साक्ष्य में पठनीय नहीं है। यदि फर्द बरामगदी एवं सुपुर्दगीनामा दिनांक 16.09.2016 कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/14 को यदि साक्ष्य के रूप में मान भी लिया जाय तो फर्द बरामदगी कागज संख्या 9क/12 में यह अंकित है कि **उक्त बरामद ट्रक एवं 30 खाली सिलेण्डर एवं 203 भरे हुए सिलेण्डर अल्मोड़ा गैस सर्विस के गोदामकीपर को इस आशय के साथ सुपुर्दगी में दिये गये कि वे अग्रिम आदेशों तक उक्त सिलेण्डर एवं बांसुरी को सुरक्षित रखेंगे।**

23. अभियोजन के अनुसार दिनांक 16.09.2016 को अल्मोड़ा गैस सर्विस के गोदामकीपर को ट्रक व गैस सिलेण्डरों व बांसुरी को सुपुर्द किया जाना बताया गया है, परन्तु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दर्शित होता हो कि दिनांक 16.09.2016 को स्टोरकीपर के पद पर किशन सिंह जलाल व राजीव कुमार कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा श्री टी0एन0उपाध्याय ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या–4 में बयान दिया है कि ट्रक को चालक सहित अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा के गोदाम पर ले जाकर मौके पर फर्द बरामदगी एवं सुपुर्दगीनामा तैयार करवा कर सिलेण्डरों एवं ट्रक को किशन सिंह जलाल की सुपुर्दगी में इस आशय के साथ दिये गये कि वे उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। जबकि फर्द बरामदगी एवं सुपुर्दगीनामा कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/14 में अल्मोड़ा गैस सर्विस के गोदामकीपर को सुपुर्दगी में दिया जाना अंकित है। अभियुक्त किशन सिंह जलाल द्वारा धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयानों में कहा है कि मैं प्रबन्धक के पद पर नहीं था तथा अपने बचाव साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 148क/3 प्रस्तुत किया गया है जिसमें किशन सिंह जलाल मैकेनिक गैस सर्विस का पद दर्शाया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई

दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दर्शित होता हो कि दिनांक 16.09.2016 को किशन सिंह जलाल अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा में स्टोरकीपर के पद पर नियुक्त था और अभियुक्त किशन सिंह जलाल को ट्रक व सिलेण्डर सुपुर्द किये गये। जहॉ तक अभियुक्त राजीव कुमार का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में वादी मुकदमा साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 टी0एन0उपाध्याय, जिनके द्वारा फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा दिनांक 16.09.2016 दिये जाने का उल्लेख है, ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या–4 में अभियुक्त राजीव कुमार की सुपुर्दगी में दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

24. साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा टी0एन0उपाध्याय ने अपनी जिरह के पैरा संख्या–34 में कथन किया गया है कि ट्रक में डाला लगता था, डाले में ताला लगा था, उसकी चाबी ड्राईवर के पास थी। जबकि साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 नन्दन सिंह बोरा ने अपनी जिरह के पैरा संख्या 32 में कथन किया गया है कि नापतोल के बाद सभी सिलेण्डरों को ट्रक में रखकर डाला लगाकर ताला लगाया गया। ताले की चाबी किसके पास थी मुझे नहीं पता है तथा साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 कानि0 संदीप सिंह ने अपनी जिरह के पैरा संख्या–18 में बयान दिया है कि लक्ष्मेश्वर के पास नन्दन सिंह ने ताला लगाया गया तथा चाबी उन्हीं के पास थी। अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 16.09.2016 को फर्द व सुपुर्दगीनामा तैयार कर स्टोरकीपर अल्मोड़ा गैस गोदाम अल्मोड़ा को दिया गया। जबकि अभियोजन साक्षी संख्या–3 कानि0 संदीप सिंह के अनुसार ट्रक में सिलेण्डरों को रखकर डाला बन्द कर ताला लगाकर चाबी नन्दन सिंह को दी गयी तथा साक्षी संख्या–1 टी0एन0उपाध्याय के अनुसार ट्रक में सिलेण्डरों को रखकर डाला बन्द कर ताला लगाकर चाबी ट्रक के ड्राईवर को दी गयी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों के अवलोकन से दर्शित है कि सिलेण्डरों को ट्रक में रखकर डाला बन्द करके चाबी अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल व राजीव कुमार को नहीं दी गयी।

25. अभियोजन के अनुसार दिनांक 16.09.2016 को ट्रक व सिलेण्डरों

की फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा तैयार कर अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल व राजीव कुमार को दिये गये थे तथा दिनांक 5.5.2017 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के आदेश दिनांक 10.04.2017 के अनुपालन में ट्रक को अवमुक्त करने हेतु पुनः ट्रक में रखे हुए सिलेण्डरों की जॉच करने पर 10 सिलेण्डर कम पाये गये, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार के विरूद्ध मुकदमा वादी मुकदमा श्री टी0एन0उपाध्याय द्वारा दिनांक 23.06.2017 को दर्ज करायी गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन कथानक के अनुसार यदि दिनांक 5.5.2017 को 10 सिलेण्डर खुर्द–बुर्द होने की जानकारी प्राप्त हुई, तो दिनांक 5.5.2017 से दिनांक 23.06.2017 को एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने में हुए विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है जिस कारण अभियोजन कथानक सन्देहास्पद है। इस सम्बन्ध में पत्रावली में संलग्न प्रदर्श पी–5 प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.06.2017 समय 17.11 बजे पंजीकृत हुई है तथा पत्रावली में संलग्न तहरीर प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से तहरीर प्रस्तुत किये जाने का दिनांक 23.06.2017 अंकित है। इस सम्बन्ध में साक्षी पी0डब्ल्यू0–5 विवेचक एस0आई0 अम्बी राम ने अपनी जिरह के पैरा संख्या 32 में यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 5.5.2017 से दिनांक 23.06.2017 में लगभग डेढ माह का अन्तर से विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है। अभियोजन पक्ष विलम्ब से एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क में बल प्रतीत होता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों तथा दस्तावेजों से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार के विरूद्ध धारा 406 भारतीय दंण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार को धारा 406 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

26. अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल पर **द्वितीय आरोप** यह है कि दिनांक 16.09.2016 से 05.05.2017 के बीच दिनांक 16.09.2016 को

तत्कालीन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, अल्मोडा द्वारा ट्रक सं0 यू0के0 04 सी0ए0 9789 में घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों में 30 खाली गैस सिलेण्डर तथा 1 सिलेण्डर कम होने के संबंध में कोतवाली अल्मोडा में मुकदमा अपराध सं0 53/2016 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग से संबंधित ट्रक व 203 भरे सिलेण्डरों, 30 खाली सिलेण्डरों व 2 बासुरी (गैस रिफिलिंग यंत्र) माल मुकदमाती को किशन सिंह जलाल स्टोर कीपर इण्डेन गैस सर्विस, लक्ष्मेश्वर, अल्मोडा को इस आशय के साथ सुपुर्दगी में दिए गए थे कि वे अग्रिम आदेश तक उक्त सिलेण्डरों एवं बासुरी को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे। परन्तु दिनांक 05.05.2017 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा के आदेश दिनांक 10.04.2017 के अनुपालन में ट्रक को अवमुक्त करने हेतु पुनः ट्रक में रखे हुए सिलेण्डरों की जांच करने पर 222 सिलेण्डर भरे हुए तथा 1 खाली सिलेण्डर, कुल 223 सिलेण्डर पाए गए, जिनको तोलकर किशन सिंह जलाल स्टोर कीपर की सुपुर्दगी में दिया गया, जिन्हें उनके द्वारा गैस गोदाम में रखा गया, जबकि पूर्व में दिनांक 16.09.2016 को प्रबंधक अल्मोडा गैस सर्विस, अल्मोडा तथा किशन सिंह जलाल स्टोर कीपर अल्मोडा गैस सर्विस अल्मोडा द्वारा उक्त सुपुर्दगी में दिए गए सिलेण्डरों को गैस गोदाम में न रखकर उन्हें ट्रक में ही छोड दिया गया। इस प्रकार 10 सिलेण्डर ट्रक में कम पाए गए। आप अभियुक्त तत्कालीन स्टोरकीपर अल्मोडा गैस सर्विस के पद पर तैनात थे। आप अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्त राजीव कुमार के साथ मिलकर माल मुकदमाती, जो आपकी अभिरक्षा में न्यस्त (entrusted) किया गया था, को खुर्दबुर्द करके आपराधिक न्यासभंग किया गया तथा अभियुक्त राजीव कुमार पर **द्वितीय आरोप** यह है कि दिनांक 16.09.2016 से 05.05.2017 के बीच दिनांक 16.09.2016 को तत्कालीन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, अल्मोडा द्वारा ट्रक सं0 यू0के0 04 सी0ए0 9789 में घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों में 30 खाली गैस सिलेण्डर तथा 1 सिलेण्डर कम होने के संबंध में कोतवाली अल्मोडा में मुकदमा अपराध सं0 53/2016 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग से संबंधित ट्रक व 203 भरे सिलेण्डरों, 30 खाली सिलेण्डरों व 2 बासुरी (गैस रिफिलिंग यंत्र) माल मुकदमाती को किशन सिंह

जलाल स्टोर कीपर इण्डेन गैस सर्विस, लक्ष्मेश्वर, अल्मोडा को इस आशय के साथ सुपुर्दगी में दिए गए थे कि वे अग्रिम आदेश तक उक्त सिलेण्डरों एवं बासुरी को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे। परन्तु दिनांक 05.05.2017 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा के आदेश दिनांक 10.04. 2017 के अनुपालन में ट्रक को अवमुक्त करने हेतु पुनः ट्रक में रखे हुए सिलेण्डरों की जांच करने पर 222 सिलेण्डर भरे हुए तथा 1 खाली सिलेण्डर, कुल 223 सिलेण्डर पाए गए, जिनको तोलकर किशन सिंह जलाल स्टोर कीपर की सुपुर्दगी में दिया गया, जिन्हें उनके द्वारा गैस गोदाम में रखा गया, जबकि पूर्व में दिनांक 16.09.2016 को प्रबंधक अल्मोडा गैस सर्विस, अल्मोडा तथा किशन सिंह जलाल स्टोर कीपर अल्मोडा गैस सर्विस अल्मोडा द्वारा उक्त सुपुर्दगी में दिए गए सिलेण्डरों को गैस गोदाम में न रखकर उन्हें ट्रक में ही छोड दिया गया। इस प्रकार 10 सिलेण्डर ट्रक में कम पाए गए। आप अभियुक्त तत्कालीन प्रबंधक अल्मोडा गैस सर्विस अल्मोडा के पद पर तैनात थे। आप अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्त किशन सिंह जलाल के साथ मिलकर माल मुकदमाती, जो आपकी अभिरक्षा में न्यस्त (entrusted) किया गया था, को खुर्दबुर्द करके आपराधिक न्यासभंग किया गया।

27. इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा पी0डब्ल्यू0–1 श्री टी0एन0उपाध्याय ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 4 में कथन किया है कि ट्रक को चालक सहित अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा के गोदाम पर ले जाकर मौके पर फर्द बरामदगी एवं सुपुर्दगीनामा तैयार करवाकर सिलेण्डरों एवं ट्रक को किशन सिंह जलाल की सुपुर्दगी में इस आशय के साथ दिये गये कि वे उन्हें अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखें। जबकि जिरह के पैरा संख्या 14 में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 16.09.2016 को एन0टी0डी0 चौराहे से ट्रक को लाकर अल्मोड़ा गैस गोदाम के उपर अल्मोड़ा रानीखेत मोटर मार्ग पर खड़ा किया गया तथा जिरह के पैरा संख्या 15 में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि मोटर मार्ग पर ही हमारे द्वारा सभी सिलण्डरों की नाप तोल की गयी और नापतोल

करने के उपरान्त मौके पर फर्द बरामदगी बनाकर सारे सिलेण्डरों को गोदाम कीपर की सुपुर्दगी में दिये गये तथा जिरह के पैरा संख्या 33 में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि गैस सिलेण्डर से भरा ट्रक गैस गोदाम में न रखकर गैस गोदाम के उपर वाली सड़क पर रखा था। जिरह के पैरा संख्या 34 में बयान दिया है कि ट्रक में डाला लगता था, डाले में ताला लगा था, उसकी चाबी ड्राईवर के पास थी। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा गैस सिलण्डरों व ट्रक की सुपुर्दगी विधिवत न की गयी हो।

28. साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 नन्दन सिंह बोरा अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या 4 में बयान दिया है कि हमारे द्वारा 5 सिलेण्डरों की रैनडमली तौल की गयी, जिसके प्रमाणिक कागज पत्रावली में कागज संख्या 9क/11 लगायत 9क/22 है। इसके पश्चात **गैस प्रबन्धक श्री राजीव कुमार के समक्ष श्री किशन सिंह जलाल को 203 भरे हुए सिलेण्डर तथा 30 खाली सिलेण्डर व दो बांसुरी सुपुर्द की गयी**। तथा मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या 7 में कथन किया गया है कि इस प्रकार स्टोरकीपर द्वारा 10 सिलेण्डर खुर्द बुर्द किये गये। जबकि जिरह के पैरा संख्या 9 में कथन किया गया है कि आई0टी0आई0 से ट्रक ड्राईवर एस0ओ0जी0 की निगरानी में ट्रक को चलाकर गैस गोदाम के उपर अल्मोड़ा रानीखेत रोड में लाया गया तथा जिरह के पैरा संख्या 17 में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 5.5.2017 को ही पहली बार पता चला कि सिलेण्डरों में खुर्द बुर्द की गयी है, मेरे द्वारा सिलेण्डरों में हुई खुर्द बुर्द की सूचना जिलाधिकारी अल्मोड़ा को लिखित रूप में दिनांक 6.5.2017 को दी गयी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी खुर्द बुर्द के सम्बन्ध में सूचना देने के बाद कोई कार्यवाही की गयी या नहीं तथा जिरह के पैरा संख्या 19 में यह कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 6.5.2017 को मेरे द्वारा खुर्द बुर्द होने के सम्बन्ध में जो लिखित सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी गयी थी, वह पत्रावली में मौजूद नहीं है और न ही मैं आज न्यायालय लेकर आया हूं तथा जिरह के पैरा संख्या 32 में कथन कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि ट्रक को गैस गोदाम में न जाकर उसे उपर की रोड में ही खड़ा कर दिया गया था। वहीं उपर रोड पर सिलेण्डरों की नापजोक की

गयी। यह पूरी कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी टी0एन0उपाध्याय के निर्देशन पर हो रही थी। नापतोल के बाद सभी सिलेण्डरों को ट्रक में रखकर डाला लगाकर ताला लगाया गया था।

29. साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 कानि0 संदीप सिंह, जो कि मामले के दिनांक 16.09.2016 के फर्द के गवाह हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या 5 में कथन किया गया है कि मौके पर ही सारी कागजी कार्यवाही करने पर सभी सिलेण्डरों को वापस उसी गाड़ी में रखकर ताला लगाकर उसके जिम्मेदारी गोदाम वालों के सुपुर्द करके हम लोग चालक को लेकर कोतवाली अल्मोड़ा ले गये। कागज संख्या 6क/1 दिनांक 16.09.2016 तहरीर की छाया प्रति है, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में कागज संख्या 9क/11 संलग्न है, जिस पर ए स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जबकि जिरह के पैरा संख्या 15 में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि कागज संख्या 9क/11 के मुख्य भाग में शिनाख्त की कोई मुहर नहीं लगी है पृष्ठ भाग पर मुहर व हस्ताक्षर हैं तथा पैरा संख्या 18 में बयान दिया है कि लक्ष्मेश्वर के पास नन्दन सिंह द्वारा ताला लगवाया गया तथा चाबी उन्हीं के पास थी। तथा जिरह के पैरा संख्या 29 में कथन किया गया है कि कागज संख्या 9क/14 में टी0एन0उपाध्याय के हस्ताक्षर हैं या नहीं मैं नहीं बता सकता हूं।

30. साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 दीपक सिंह खनका, जो दिनांक 16.09.2016 के फर्द के गवाह हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या 4 में यह कथन किया गया है कि गैस गोदाम ले जाने के बाद मौके पर ट्रक में से सिलेण्डरों को नीचे उतार कर तोला गया, तोलने पर 30 खाली सिलेण्डर व 203 भरे हुए सिलेण्डर पाये गये। मौके पर क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री नन्दन सिंह बोरा द्वारा फर्द तैयार की गयी। फर्द की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली में कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/14 संलग्न है, जिसमें अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त करता हूं। जबकि जिरह के पैरा संख्या 12 में कथन किया गया है कि उपरोक्त मामले में घटनास्थल एक ही है, मुझे पता नहीं है कि उपरोक्त चाबी किसे दी गयी, परन्तु गैस गोदाम के कर्मचारी को दी गयी।

31. साक्षी पी0डब्ल्यू0–5 एस0आई0 अम्बी राम ने अपनी जिरह के पैरा

संख्या 22 में कथन किया गया है कि कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/22 फर्द से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज प्रमाणित छाया प्रतियॉ हैं, इसकी मूल प्रतियॉ पत्रावली पर मौजूद नही है। यह कहना सही है कि **प्रमाणित छाया प्रतियों में प्रदर्श अंकित नहीं है और मेरे द्वारा मूल का अवलोकन नहीं किया गया** तथा जिरह के पैरा संख्या 23 में यह कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि तहरीर लेखक टी0एन0उपाध्याय द्वारा मुझे यह बात नहीं बतायी गयी थी कि फर्द से सम्बन्धित मूल प्रतियों के आधार पर ही उपरोक्त प्रमाणित प्रतियॉ तैयार की गयी। तथा जिरह के पैरा संख्या 28 में यह कथन किया गया है कि तथाकथित घटना में सिलेण्डर का खुर्द बुर्द गैस गोदाम परिसर में हुआ था तथा पैरा संख्या 29 में बयान दिया है कि मेरे द्वारा इस बात की पुष्टि की गयी थी कि किशन सिंह जलाल गैस गोदाम अल्मोड़ा में स्टोरकीपर के पद पर नियुक्त हैं, लेकिन इससे सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज दौराने विवेचना नहीं दिये गये थे और न ही इससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। यह कहना सही है कि कथित घटना का समय दिनांक 16.09.2016 से 5.5.2017 तक सी0डी0 में अंकित किया गया है। **यह कहना सही है कि दिनांक 5.5.2017 से तहरीर दिये जाने तक दिनांक 23.6.2017 में लगभग डेढ माह के अन्तर से विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है।** जिरह के पैरा संख्या 37 में यह बयान दिया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 नक्शा नजरी जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है उक्त नक्शा नजरी गैस गोदाम से लगभग 200 मीटर नीचे स्थित है। यह कहना सही है कि उपरोक्त नक्शा नजरी में गैस गोदाम परिसर अंकित नहीं किये गये हैं तथा जिरह के पैरा संख्या 42 में बयान दिया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–5 में टी0एन0उपाध्याय व खाद्य पूर्ति अधिकारी की मुहर अंकित नहीं है और न ही स्टोरकीपर की मुहर अंकित है तथा जिरह के पैरा संख्या 57 में यह कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि जब मैं दौराने विवेचना गैस गोदाम अल्मोड़ा पहुॅचा, तो गैस गोदाम की चाबी पान सिंह मेर के पास थी और उनके द्वारा ही ताला खोलकर अन्दर ले जाया गया व टी0एन0उपाध्याय भी हमारे साथ थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 में

संलग्न जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर अल्मोड़ा द्वारा पारित आदेश की प्रति तहरीर के साथ संलग्न नहीं है। यह कहना सही है कि कागज संख्या 9क/10 में चार लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें एक स्वयं मेरे, वादी टी0एन0उपाध्याय, नन्दन सिंह बोरा व स्टोर कीपर पान सिंह मेर के हस्ताक्षर हैं तथा जिरह के पैरा संख्या 87 में बयान दिया है कि यह कहना सही है कि जब मेरे द्वारा दिनांक 30.06.2017 को कार्यवाही की गयी थी, उस दौरान मेरे द्वारा अभियुक्तगण राजीव कुमार व किशन सिंह जलाल को कोई सूचना नहीं दी गयी थी। यह कहना सही है कि दिनांक 16.09.2016 से दिनांक 5.5.2017 तक ट्रक 233 सिलेण्डरों के साथ गैस गोदाम के उपर वाली सड़क पर खड़ा था तथा जिरह के पैरा संख्या 95 में बयान दिया है कि यह कहना सही है कि दौराने जॉच मेरे द्वारा यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि गैस गोदाम में लाये गये भरे व खाली सिलेण्डरों के क्रमॉक क्या-क्या रहे हैं।

32. साक्षी पी0डब्ल्यू0-6 एस0आई0 देवेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.06.2018 को अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पत्र मय आवश्यक अभिलेखों की प्रतियॉ महा प्रबन्धक कुमाउॅ मण्डल विकास निगम कार्यालय नैनीताल को भेजी गयी थी, जिससे सम्बन्धित पत्र कागज संख्या 14क/12, जिस पर कुमाउॅ मण्डल विकास निगम की रिसीविंग मुहर, जिसे प्रदर्श पी-7 के रूप में साबित किया गया तथा अभियोजन चलाने सम्बन्धित स्वीकृति पत्र कागज संख्या 24क/21 जिसे प्रदर्श पी-8 के रूप में साबित किया गया है।

33. साक्षी पी0डब्ल्यू0-7 पान सिंह मेर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं अल्मोड़ा गैस ऐजेन्सी में वर्ष 2003 से 2020 तक सैल्समैन था। उक्त अवधि में अल्मोड़ा गैस ऐसेजन्सी में स्टोर कीपर श्री किशन सिंह जलाल थे। दिनांक 16.09.2016 से दिनांक 10.04.2017 की अवधि में भी स्टोरकीपर श्री किशन सिंह जलाल ही होंगे। जबकि जिरह के पैरा संख्या-10 में कथन किया है कि अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या-3 में मैंने जो किशन सिंह जलाल के स्टोरकीपर होने की बात कही है, उनका

मुख्य पद मैकेनिक का था। किशन सिंह जलाल के स्टोरकीपर के चार्ज में होने का कोई भी आधिकारिक पत्र न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

34. न्यायालय को यह देखना है कि दिनांक 16.09.2016 को जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा वाहन संख्या यू0ए0–04–6963 ट्रक एवं 30 खाली सिलेण्ड एवं 203 भरे हुए सिलेण्डर अभियुक्त किशन सिंह जलाल एवं अभियुक्त राजीव कुमार को सुपुर्द किया गया एवं दिनांक 5.5.2017 को ट्रक अवमुक्त करते समय ट्रक में रखे हुए 10 सिलेण्डर अभियुक्तगण द्वारा खुर्द बुर्द किये गये। इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फर्द बरामदगी कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/14 के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 16.09.2016 की फर्द बरामदगी की छायाप्रति हैं। कागज संख्या 9क/13 व 9क/14 में सी0जे0एम0 अल्मोड़ा के लघु हस्ताक्षर दिनांक 17.09.2016 की छायाप्रतियॉ है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–5 विवेचक अम्बी राम ने अपने जिरह के पैरा संख्या 12 में यह स्वीकार किया है कि कागज संख्या 9क/22 फर्द से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज प्रमाणित छायाप्रतियॉ है, इसकी मूल प्रतियॉ पत्रावली में मौजूद नहीं है। अभियोजन द्वारा जिस फर्द एवं सुपुर्दगीनामा दिनांक 16.09.2016 द्वारा अभियुक्तगण को ट्रक व गैस सिलेण्डर सुपुर्द किया जाना बताया गया है, वह सुपुर्दगीनामा व फर्द की मूल प्रतियॉ या प्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी है। विवेचक अम्बी राम के जिरह के पैरा संख्या 22 के अनुसार फर्द एवं सुपुर्दगीनामा दिनांक 16.09.2016 की मूल प्रति एफ0आई0आर0संख्या 53/2016 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 में संलग्न कर प्रेषित की गयी थी। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/14 छायाप्रतियॉ होने के कारण साक्ष्य में पठनीय नहीं है। यदि फर्द बरामगदी एवं सुपुर्दगीनामा दिनांक 16.09.2016 कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/14 को यदि साक्ष्य के रूप में मान भी लिया जाय तो फर्द बरामदगी कागज संख्या 9क/12 में यह अंकित है कि **उक्त बरामद ट्रक एवं 30 खाली सिलेण्डर एवं 203 भरे हुए सिलेण्डर अल्मोड़ा गैस सर्विस के गोदामकीपर को इस आशय के साथ सुपुर्दगी में दिये गये कि वे अग्रिम**

आदेशों तक उक्त सिलेण्डर एवं बांसुरी को सुरक्षित रखेंगे।

35. अभियोजन के अनुसार दिनांक 16.09.2016 को अल्मोड़ा गैस सर्विस के गोदामकीपर को ट्रक व गैस सिलेण्डरों व बांसुरी को सुपुर्द किया जाना बताया गया है, परन्तु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दर्शित होता हो कि दिनांक 16.09.2016 को स्टोरकीपर के पद पर किशन सिंह जलाल व राजीव कुमार कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा श्री टी0एन0उपाध्याय ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या–4 में बयान दिया है कि ट्रक को चालक सहित अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा के गोदाम पर ले जाकर मौके पर फर्द बरामदगी एवं सुपुर्दगीनामा तैयार करवा कर सिलेण्डरों एवं ट्रक को किशन सिंह जलाल की सुपुर्दगी में इस आशय के साथ दिये गये कि वे उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। जबकि फर्द बरामदगी एवं सुपुर्दगीनामा कागज संख्या 9क/12 लगायत 9क/14 में अल्मोड़ा गैस सर्विस के गोदामकीपर को सुपुर्दगी में दिया जाना अंकित है। अभियुक्त किशन सिंह जलाल द्वारा धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयानों में कहा है कि मैं प्रबन्धक के पद पर नहीं था तथा अपने बचाव साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 148क/3 प्रस्तुत किया गया है जिसमें किशन सिंह जलाल मैकेनिक गैस सर्विस का पद दर्शाया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दर्शित होता हो कि दिनांक 16.09.2016 को किशन सिंह जलाल अल्मोड़ा गैस सर्विस अल्मोड़ा में स्टोरकीपर के पद पर नियुक्त था और अभियुक्त किशन सिंह जलाल को ट्रक व सिलेण्डर सुपुर्द किये गये। जहॉ तक अभियुक्त राजीव कुमार का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में वादी मुकदमा साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 टी0एन0उपाध्याय, जिनके द्वारा फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा दिनांक 16.09. 2016 दिये जाने का उल्लेख है, ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा संख्या–4 में अभियुक्त राजीव कुमार की सुपुर्दगी में दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

36. साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा टी0एन0उपाध्याय ने अपनी

जिरह के पैरा संख्या–34 में कथन किया गया है कि ट्रक में डाला लगता था, डाले में ताला लगा था, उसकी चाबी ड्राईवर के पास थी। जबकि साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 नन्दन सिंह बोरा ने अपनी जिरह के पैरा संख्या 32 में कथन किया गया है कि नापतोल के बाद सभी सिलेण्डरों को ट्रक में रखकर डाला लगाकर ताला लगाया गया। ताले की चाबी किसके पास थी मुझे नहीं पता है तथा साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 कानि0 संदीप सिंह ने अपनी जिरह के पैरा संख्या–18 में बयान दिया है कि लक्ष्मेश्वर के पास नन्दन सिंह ने ताला लगाया गया तथा चाबी उन्हीं के पास थी। अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 16.09.2016 को फर्द व सुपुर्दगीनामा तैयार कर स्टोरकीपर अल्मोड़ा गैस गोदाम अल्मोड़ा को दिया गया। जबकि अभियोजन साक्षी संख्या–3 कानि0 संदीप सिंह के अनुसार ट्रक में सिलेण्डरों को रखकर डाला बन्द कर ताला लगाकर चाबी नन्दन सिंह को दी गयी तथा साक्षी संख्या–1 टी0एन0उपाध्याय के अनुसार ट्रक में सिलेण्डरों को रखकर डाला बन्द कर ताला लगाकर चाबी ट्रक के ड्राईवर को दी गयी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों के अवलोकन से दर्शित है कि सिलेण्डरों को ट्रक में रखकर डाला बन्द करके चाबी अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल व राजीव कुमार को नहीं दी गयी।

37. अभियोजन के अनुसार दिनांक 16.09.2016 को ट्रक व सिलेण्डरों की फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा तैयार कर अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल व राजीव कुमार को दिये गये थे तथा दिनांक 5.5.2017 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के आदेश दिनांक 10.04.2017 के अनुपालन में ट्रक को अवमुक्त करने हेतु पुनः ट्रक में रखे हुए सिलेण्डरों की जॉच करने पर 10 सिलेण्डर कम पाये गये, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार के विरूद्ध मुकदमा वादी मुकदमा श्री टी0एन0उपाध्याय द्वारा दिनांक 23.06.2017 को दर्ज करायी गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन कथानक के अनुसार यदि दिनांक 5.5.2017 को 10 सिलेण्डर खुर्द–बुर्द होने की जानकारी प्राप्त हुई, तो दिनांक 5.5.2017 से दिनांक 23.06.2017 को एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने में हुए विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं

दर्शाया गया है जिस कारण अभियोजन कथानक सन्देहास्पद है। इस सम्बन्ध में पत्रावली में संलग्न प्रदर्श पी–5 प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.06.2017 समय 17.11 बजे पंजीकृत हुई है तथा पत्रावली में संलग्न तहरीर प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से तहरीर प्रस्तुत किये जाने का दिनांक 23.06.2017 अंकित है। इस सम्बन्ध में साक्षी पी0डब्ल्यू0–5 विवेचक एस0आई0 अम्बी राम ने अपनी जिरह के पैरा संख्या 32 में यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 5.5.2017 से दिनांक 23.06.2017 में लगभग डेढ माह का अन्तर से विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है। अभियोजन पक्ष विलम्ब से एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क में बल प्रतीत होता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों तथा दस्तावेजों से अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 16.09.2016 को फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा द्वारा ट्रक एवं गैस सिलेण्डरों को अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार को सुपुर्द किया गया और उनके द्वारा स्टोरकीपर के पद पर रहते हुए फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा दिनांक 16.09.2016 द्वारा दिये गये ट्रक व गैस सिलेण्डरों में से 10 सिलेण्डर खुर्द बुर्द किये गये। अत: अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल व राजीव कुमार के विरूद्ध धारा 409 भारतीय दंण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार को धारा 409 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

38. उपरोक्त समस्त विवेचना से न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार के विरुद्ध धारा 406 एवं 409 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार के विरुद्ध धारा 406 एवं 409 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार के विरुद्ध धारा 406 एवं 409 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण किशन सिंह जलाल एवं राजीव कुमार जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जामिनानों के दायित्व धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में छः महीने तक प्रवर्तन में रहेंगे।

माल मुकदमा, यदि कोई हो, तो बाद मियाद या अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जाये।

इस निर्णय को अविलम्ब NJDG पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

दिनांकः 03.12.2025

(रवीन्द्र देव मिश्र)
सिविल जज (सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एंव दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 03.12.2025

(रवीन्द्र देव मिश्र)
सिविल जज (सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।